

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार/Govt. of India, Ministry of Labour & Employment)

क्षेत्रीय कार्यालय, झारखंड/ Regional Office, JHARKHAND

भागीरथी कॉम्प्लेक्स, निगर सर्किट हाउस, करमटोली, राँची

BHAGIRATHI COMPLEX, NEAR CIRCUIT HOUSE, KARAMTOLI, RANCHI - 834001

ई-मेल/Email : ro.ranchi@epfindia.gov.in, दूरभाष / Tele.: 0651-2360874, 2360804



No.JH/RO/RNC/Adm.-II/CT/CA firm/Vol-I/21/113 / 16467

Dated: 26/7/22

Expression of Interest (EOI) for empanelment of Chartered Accountant Firm for Regional Office, Ranchi Employees' Provident Fund Organization (EPFO).

1. The Employees' Provident Fund Organization, India (EPFO) is an autonomous body under the aegis of the Ministry of Labour and Employment, Government of India (MoLE). The main objective of the organization is to provide old-age social security to the subscribers as per the provisions of EPF & MP Act, 1952 and the three Schemes framed there under.

For further information about EPFO, one may visit the website www.epfindia.gov.in.

2. Regional Office, Ranchi proposes to form a panel of Chartered Accountant Firms (10 CA firms) for initial period of three years for handling various tax matters and allied activities, finalization of books of accounts, special audit, reconciliation of specific entries appearing in books of accounts or any other matter relating to tax matter or accounts or book keeping etc., as and when required.

3. Eligibility:

Eligibility Criteria:

- (i) Applicant firm should be in existence for at least 10 years.
- (ii) Applicant firm should have at least 5 full time partners with at least 1 full time FCA
- (iii) The Applicant firm must have its full fledged operational branch at Ranchi.
- (iv) The Applicant firm should be in the panel of C & AG.
- (v) The partners must be member of ICAI and should have valid full time certificate of practice issued by ICAI.
- (vi) Applicant firm must have experience of auditing accounts/handling tax matters with Govt. Organization/PSUs.
- (vii) Average annual Turnover of the firm of the last three years should be at least Rs.75 lakhs.
- (viii) Applicant firm or its partners should not have been held guilty of any professional misconduct under Chartered Accountants Act, 1949 (as amended) during past five years or penalized under any of the tax laws by ICAI or any other statutory body.

- (ix) Applicant firm or its partners should not be facing any investigation or enquiry by any tax authority for violation of any of the tax laws.
- (x) Applicant firm should preferably be willing to work at any place in Jharkhand.

4. Selection procedure:

- (a) All the applications received up to the last date shall be scrutinized by a Committee appointed by the competent authority to decide the eligible firms.

Once a firm is declared as eligible then top 10 firms will be selected on the basis of point scored on different criteria. Point system will be as follows:

Sl. No.	ELIGIBILITY	POINTS
1	Experience of Firm	0.5 point for every calendar year from 10 years onwards – Maximum 15 points
2	Full time FCA	5 point for first partner and 2.5 from 2 nd partner onwards.
3	Full time ACA Partner	3 point each for first 5 partner and 1.5 points for 6 th partner onwards.
4	Full time CA Employees	1 point for every CA-Maximum 20 points.
5	Turn over	1 point for each lakh above 75 lakhs.

- (b) EPFO, in case of necessity can add new firms in the panel.

5. Nature of work:

Employees Provident Fund is a recognized provident fund under the provisions of Income Tax act, 1961 therefore its income are non taxable. However, under certain circumstances various provisions of Income tax Act and other tax laws become applicable to EPFO. Apart from this, professional services are required also for finalization of books of accounts, special audit, system audit, performance audit, reconciliation of specific entries appearing in books of accounts or any other matter relating to tax matter or accounts or book keeping etc. The nominated Firm would be required to handle the case assigned as per the terms of reference.

6. Allotment of work:

To allot any work a limited tender will be invited from the empanelled firms and following the General financial Rules of the Central Government, the work will be allotted to a particular firm.

7. **Application form:**

Interested parties may apply in the application format enclosed as Annexure "A" along with the undertaking in the format as below:

I....., the managing partners of
M/s.....Chartered Accountants do
hereby verify, declare and undertake:

- a) That the particulars given above are complete and correct and that if any of the statements made or the information so furnished in the application form is later found not correct or false or there has been suppression of material information, the Firm would stand disqualified from empanelment/allotment of work and might be liable for disciplinary action under the Chartered Accountants Act, 1949 and the regulations framed there under.
- b) Applicant firm or its partners should not have been held guilty of any professional misconduct under Chartered Accountants Act, 1949 (as amended) during past five years of penalized under any of the tax laws by ICAI or any other statutory body.
- c) Applicant firm or its partners should not be facing any investigation or enquiry by any tax authority for violation of any of the tax laws.
- d) That I and other Partners are in full time practice of Chartered Accountants.

Name & Signature of the Managing partner of the firm with seal

8. EOI should be superscripted as "**Confidential – EOI for empanelment of Chartered Accountant Firm**"

To be submitted in a sealed envelope and addressed to:-

The Assistant Provident Fund Commissioner (Administration-II)
Employees' Provident Fund Organization, Regional Office, Ranchi
Bhagirathi Complex, Near Circuit House, Karamtoli,
Ranchi, Jharkhand – 834001.

9. Last date of submission of EOI is **31.08.2022**. The EOI will be opened on **08.09.2022** at 11:00 AM at EPFO, RO, Ranchi and the firm selected will be intimated after empanelment.



(Prashant Kumar)

Assistant Provident Fund Commissioner (Adm-II)
EPFO, Regional Office, Ranchi.

Annexure "A"

Application for empanelment of Chartered Accountant Firms for Employees' Provident Fund Organization.

Sl. No.	PARTICULARS	Remarks									
1	Name of the Chartered Accountant firms										
2	Registration No. (ICAI) of the Firm										
3	Date of constitution of the Firm and constitution certificate of the Firm issued by the CA	Copy to be enclosed									
4	Proof of empanelment of C & AG	Copy to be enclosed									
5	Name of the partners with status (FCA & ACA)										
6	Membership No. of the partners & certificate of practice	Copy to be enclosed									
7	Complete full address of the Head Office and the Branch with Telephone/Mobile/Fax with email address										
8	Income Tax PAN of the Firm	Copy to be enclosed									
9	No. of full time professionals with the firm <table border="1" data-bbox="331 869 1007 981"> <tr> <td>a.</td> <td>Full time FCA Partners</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Full time ACA Partners</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Full time CA Employee</td> <td></td> </tr> </table>	a.	Full time FCA Partners		b.	Full time ACA Partners		c.	Full time CA Employee		
a.	Full time FCA Partners										
b.	Full time ACA Partners										
c.	Full time CA Employee										
10	Whether there are any court/arbitration of any other legal cases/proceedings pending against the firm/partners										
11	Average Annual turnover of the firm last 3 years										
12	Proof of payment of membership fee and certificate of practice from ICA for the year -2013-14.	Copy to be enclosed									
13	Indicate the tax/audit work experience in the following sectors. <table border="1" data-bbox="331 1272 999 1384"> <tr> <td>a.</td> <td>PSU</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Govt. (central/State)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Private</td> <td></td> </tr> </table>	a.	PSU		b.	Govt. (central/State)		c.	Private		
a.	PSU										
b.	Govt. (central/State)										
c.	Private										



सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार / Govt. of India, Ministry of Labour & Employment)

क्षेत्रीय कार्यालय झारखण्ड / Regional Office, JHARKHAND

भागीरथी कॉम्प्लेक्स नजदीक सर्किट हाउस के / BHAGIRATHI COMPLEX, NEAR CIRCUIT HOUSE

करमटोली राँची / KARAMTOLI, RANCHI - 834001



ई-मेल : ro.ranchi@epfindia.gov.in, दूरभाष / Tele.2360804 ,2360874-0851 :

सं. झार/क्षे.का./राँची/प्रशा.-11/सीए फर्म/वॉल्यू-1/21/113/16467 दिनांक : 26/07/22

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थानों की नामिका बनाने के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति

1. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), भारत (ईपीएफओ) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार (एमओएलई) के तत्वावधान में एक सांविधिक निकाय है। संगठन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि एवं उनके अंतर्गत विरचित तीनों योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

ईपीएफओ के संबंध में अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.epfindia.gov.in वेबसाइट पर जाएँ।

2. क्षेत्रीय कार्यालय, राँची प्रारंभ में तीन वर्षों के लिए विभिन्न तरह के कर मामलों एवं सहायक गतिविधियों के लिए, लेखा बहियों को अंतिम रूप देने के लिए, विशेष लेखापरीक्षण, लेखा बही में उपस्थित विशिष्ट प्रविष्टियों के मेल-मिलाप, या कर मामलों से संबंधित कोई अन्य विषय या लेखा या बही-खाता आदि की जब कभी आवश्यकता पड़ने पर चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थानों (10 सीए फर्मस) की सूची बनाने का प्रस्ताव करती है।

3. पात्रता :

पात्रता मानदंड :

- आवेदक संस्थान कम से कम दस साल से विद्यमान होना चाहिए।
- आवेदक संस्थान का कम से कम पाँच पूर्णकालिक साझेदार जिसमें से कम से कम एक पूर्णकालिक एफसीए होना चाहिए।
- आवेदक संस्थान का अपना पूर्णतया परिचालित शाखा राँची में होनी चाहिए।
- आवेदक संस्थान को सी एंड एजी के पैनल में होना चाहिए।
- साझेदार आइसीएआई का अवश्य ही साथी सदस्य होना चाहिए और आइसीएआई द्वारा जारी व्यवसाय करने का वैध पूर्णकालिक प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- आवेदक संस्थान लेखापरीक्षण करने का/सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ कर मामलों को देखने का अनुभव होना चाहिए।
- संस्थान का वार्षिक कारोबार पिछले तीन वर्षों का कम से कम औसतन रु.75 लाख होना चाहिए।
- आवेदक संस्थान या उसके साझेदार पिछले पाँच वर्षों के दौरान चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (यथासंशोधित) के अंतर्गत कोई पेशागत दुराचरण के लिए दोषी साबित नहीं होना चाहिए अथवा आइसीएआई या कोई अन्य सांविधिक निकाय द्वारा कर नियमों के अंतर्गत सजायाफ़्ता नहीं होना चाहिए।

- (ix) आवेदक संस्थान कोई कर कानूनों के उल्लंघन के लिए कोई कर प्राधिकारी द्वारा कोई जाँच अथवा पूछताछ का सामना नहीं कर रहा हो।
- (x) आवेदक संस्थान झारखण्ड में किसी भी स्थान पर कार्य करने का ईच्छुक होना चाहिए।

4. चयन प्रक्रिया :

- (i) अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा पात्र फर्म का निर्णय करने के लिए छानबीन किया जायेगा।

एक बार एक संस्थान को पात्र घोषित कर दिया जाता है तो श्रेष्ठ 10 संस्थानों को विभिन्न मानदंडों पर प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जायेगा। अंक पद्धति इस प्रकार रहेगी :-

क्र.सं.	पात्रता	अंक
1	संस्थान का अनुभव	10 वर्षों के पश्चात प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए 0.5 अंक, अधिकतम 15 अंक
2	पूर्णकालिक एफसीए	पहला साझेदार के लिए 5 अंक और दूसरे साझेदार से लेकर प्रत्येक के लिए 2.5
3	पूर्णकालिक एसीए साझेदार	प्रथम पाँच साझेदार के लिए प्रत्येक को 3 अंक और छठे साझेदार से लेकर प्रत्येक को 1.5 अंक
4	पूर्णकालिक सीए कर्मचारी	प्रत्येक सीए के लिए 1 अंक, अधिकतम 20 अंक
5	कारोबार	75 लाख से ऊपर प्रत्येक लाख के लिए 1 अंक

- (ii) आवश्यकता पड़ने पर ईपीएफओ, सूची में नये संस्थान को जोड़ सकता है।

5. कार्य की प्रकृति :

कर्मचारी भविष्य निधि आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत एक मान्यताप्राप्त भविष्य निधि है और अतएव इसका आय टैक्स के दायरे में नहीं आता है। यद्यपि, कुछ परिस्थितियों में, आयकर अधिनियम और दूसरे कर कानूनों के विभिन्न प्रावधान ईपीएफओ पर लागू होते हैं। इसके अलावा, लेखा बहियों को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए, विशेष लेखापरीक्षण, सिस्टम लेखापरीक्षण, कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षण, लेखा बहियों में उपस्थित विशिष्ट प्रविष्टियों का मेल-मिलाप, या कर मामलों या लेखा या बही खाता पंजी आदि से संबंधित कोई अन्य मामला। नामांकित संस्थान को संदर्भगत शर्तों के अनुसार सौंपे गये मामलों को देखना पड़ेगा।

6. कार्य का आबंटन :

कोई कार्य का आबंटन करने के लिए एक सीमित निविदा नामिका सूची वाले संस्थानों से आमंत्रित किया जायेगा और केंद्रीय सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों का पालन करते हुए, एक विशिष्ट संस्थान को कार्य का आबंटन किया जायेगा।

7. आवेदन प्रपत्र :

इच्छुक पक्ष संलग्न अनुलग्नक "ए" में निम्नसूचित प्रपत्र में घोषणापत्र सहित आवेदन कर सकते हैं:

मैं , प्रबंधकीय साझेदार मेसर्स
..... चार्टर्ड एकाउंटेंट यहाँ इसके साथ सत्यापन, घोषणा और वचन देता हूँ कि

क) उपर्युक्त दिया गया विवरण पूर्ण और सत्य है और यदि आवेदन में दी गई कोई भी सूचना या बाद में कोई सूचना सही नहीं या असत्य पाई जाती है या कोई सूचना को छुपाया गया हो तो संस्थान को नामिका बनाने/कार्य का आबंटन करने से अयोग्य करार कर दिया जायेगा और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 एवं इसके अंतर्गत विरचित विनियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई के पात्र हो सकते हैं।

ख) आवेदक संस्थान या उसके साझेदार पिछले पाँच वर्षों के दौरान चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (यथासंशोधित) के अंतर्गत कोई पेशागत दुराचरण के लिए दोषी साबित नहीं होना चाहिए अथवा आइसीएआई या कोई अन्य सांविधिक निकाय द्वारा कर नियमों के अंतर्गत सजायाफ़्ता नहीं होना चाहिए।

ग) आवेदक संस्थान कोई कर कानूनों के उल्लंघन के लिए कोई कर प्राधिकारी द्वारा कोई जाँच अथवा पूछताछ का सामना नहीं कर रहा हो।

घ) कि मैं और दूसरे साझेदार एक पूर्णकालिक चार्टर्ड एकाउंटेंट का व्यवसाय करते हैं।

संस्थान के प्रबंधकीय साझेदार का मुहर सहित नाम एवं हस्ताक्षर

8. इच्छा की अभिव्यक्ति में "गोपनीय-चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थानों के लिए नामिका बनाने हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति" लिखा रहना चाहिए और एक बंद लिफाफे में निम्न पते पर भेजी जानी चाहिए :


सहायक भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन-11)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची

भागीरथी कांप्लेक्स, सर्किट हाऊस के नजदीक, करमटोली,

राँची, झारखण्ड - 834001

9. इच्छा की अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.08.2022 है। इच्छा की अभिव्यक्ति को कभनिसं., क्षे.का., राँची में पूर्वाह्न 11:00 बजे 08.09.2022 को खोला जायेगा और नामिका बनाने के पश्चात चयनित संस्थान को सूचित किया जायेगा।



(प्रशांत कुमार)

सहायक भविष्य निधि आयुक्त (प्रशासन-11)
कभनिसं., क्षे.का., राँची

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थानों की नामिका बनाने के लिए आवेदन

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी									
1.	चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान का नाम										
2.	संस्थान का पंजीकरण सं. (आईसीएआई)										
3.	संस्थान गठन की तिथि और सीए द्वारा जारी संस्थान का गठन प्रमाणपत्र	प्रतिलिपि संलग्न करें									
4.	सीएजी की सूची में होने का साक्ष्य	प्रतिलिपि संलग्न करें									
5.	साझेदार का पद सहित नाम (एफसीए और एसीए)										
6.	साझेदार का सदस्यता सं. और पेशा करने का प्रमाण	प्रतिलिपि संलग्न करें									
7.	मुख्य कार्यालय एवं शाखा का पूर्ण पता, दूरभाष/मोबाईल/ईमेल सहित फैंक्स										
8.	संस्थान का आयकर पैन सं.	प्रतिलिपि संलग्न करें									
9.	संस्थान का पूर्णकालिक पेशेवर <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>क.</td> <td>पूर्णकालिक एफसीए साझेदार</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ख.</td> <td>पूर्णकालिक एसीए साझेदार</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ग.</td> <td>पूर्णकालिक सीए कर्मचारी</td> <td></td> </tr> </table>	क.	पूर्णकालिक एफसीए साझेदार		ख.	पूर्णकालिक एसीए साझेदार		ग.	पूर्णकालिक सीए कर्मचारी		
क.	पूर्णकालिक एफसीए साझेदार										
ख.	पूर्णकालिक एसीए साझेदार										
ग.	पूर्णकालिक सीए कर्मचारी										
10.	क्या संस्थान/साझेदार के विरुद्ध कोई न्यायालय/कोई अन्य विधिक मामले की मध्यस्थता/लंबित कार्यवाही विद्यमान है?										
11.	पिछले तीन वर्षों का औसतन वार्षिक कारोबार										
12.	वर्ष 2013-14 के लिए आईसीए से सदस्यता शुल्क का भुगतान करने एवं पेशा करने का साक्ष्य	प्रतिलिपि संलग्न करें									
13.	कर/लेखापरीक्षण का निम्न सेक्टरों में कार्य अनुभव <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>क.</td> <td>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ख.</td> <td>सरकारी (केन्द्र/राज्य)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ग.</td> <td>निजी</td> <td></td> </tr> </table>	क.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम		ख.	सरकारी (केन्द्र/राज्य)		ग.	निजी		
क.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम										
ख.	सरकारी (केन्द्र/राज्य)										
ग.	निजी										